प्रेषक,

संख्या-204/2021/34आ/23-11-2021-1/2(29)/2021

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 05 मार्च, 2021

विषयः- जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर (राज्य मार्ग सं0-12) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 3.100 कि0मी0) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-2600नि/115-01नि/20-21, दिनांक 01-01-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य राजमार्गों के सुदृढीकरण/चौड़ीकरण के नये कार्य योजनान्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर (राज्य मार्ग सं0-12) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 3.100 कि0मी0) की आंकलित लागत रू0 2362.11 लाख (रूपये तईस करोड़ बासठ लाख ग्यारह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में लागत के सापेक्ष कुल रू0 200.00 लाख (रूपया दो करोड़ मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तो/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि		
				अनुदान सं0-58 का अंश	अनुदान सं0-83 का अंश	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	मुजफ्फर नगर नि0ख0-1	जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर (राज्य मार्ग सं0-12) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 3.100 कि0मी0) में।	2362.11	157.58	42.42	200.00

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(3) प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य माह दिसम्बर, 2021 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(7) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखा शीर्षक 1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में जमा की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Attested
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0
मुजफ्फरनगर

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
(9) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।
(10) प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
(11) प्रायोजनान्तर्गत यूटिलिटी शिफ्टिंग से सम्बन्धित कार्यों का विस्तृत आगणन सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर तथा उस पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।
(12) विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
(13) प्रश्नगत मार्ग निर्माण हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।
(14) प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(15) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-सडको तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सडक निर्माण कार्य-03-राज्य राजमार्गो का निर्माण कार्य-0306-राज्य राजमार्गो के सुदृढीकरण/चौड़ीकरण के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-06-राज्य राजमार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के नये कार्यो हेतु व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-340/दस-2021, दिनांक 25 फरवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या-204/2021/34आ(1)/23-11-2021-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम्/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम्/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- वित्त नियंत्रक लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
7- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
9- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
12- डेटा सेल, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल्।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Attested
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0
मुजफ्फरनगर